भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *326
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवासों का निर्माण

***326. श्री मनोज तिवारी:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों, प्रदान की गई स्वीकृति की तुलना में अब तक निर्मित आवासों की कुल संख्या का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और प्रगति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एसईसीसी-2011 (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना) सूची और आवास+सर्वेक्षण के माध्यम से पहचान किए गए पात्र परिवारों की संख्या की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विशेषकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे अथवा आवासों की स्वीकृति दी गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवासों का निर्माण” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 326 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास के निर्माण में सहायता प्रदान की जा सके। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 04.08.2025 तक की स्थिति अनुसार, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.12 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया है, जिसकी तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 3.84 करोड़ लाभार्थियों को स्वीकृतियाँ प्रदान की हैं और 2.81 करोड़ आवास पहले ही पूरे हो चुके हैं। दिनांक 04.08.2025 तक की स्थिति अनुसार लक्षित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए संचयी आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): मंत्रालय ने झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा एसईसीसी-2011 सूची और आवास+ 2018 सूची के माध्यम से पहचान किए गए पात्र परिवारों की संतृप्ति प्राप्त कर ली है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं।

दिनांक 04.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार एसईसीसी 2011 और आवास+ 2018 सूची के माध्यम से आवंटित संचयी आवासों, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लक्ष्य के साथ वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक पाँच वर्षों के समय विस्तार की मंज़ूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी चेहरा-आधारित प्रमाणीकरण और संशोधित बहिष्करण मापदंडों का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए एक नया सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

(ग): दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र योजना की शुरुआत से ही पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहा है।

*****

अनुबंध

"प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवासों का निर्माण" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 326 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 04.08.2025 तक की स्थिति अनुसार मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित संचयी लक्ष्यों, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

[ईकाई संख्या में]

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत संचयी आवास	पूर्ण किए गए संचयी आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591
2	असम	29,87,868	28,83,932	20,76,241
3	बिहार	50,12,752	49,02,291	38,39,417
4	छत्तीसगढ़	26,42,224	23,79,358	15,05,131
5	गोवा	257	254	242
6	गुजरात	9,02,354	8,29,323	6,00,932
7	हरियाणा	1,06,460	74,920	41,173
8	हिमाचल प्रदेश	1,21,502	97,536	36,998
9	जम्मू और कश्मीर	3,36,498	3,34,771	3,13,759
10	झारखंड	20,12,107	19,39,801	15,72,351
11	केरल	2,32,916	76,230	34,379
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	49,39,718	38,71,800
13	महाराष्ट्र	43,70,829	40,99,801	13,96,413
14	मणिपुर	1,08,550	1,01,549	38,039
15	मेघालय	1,88,034	1,85,763	1,49,886
16	मिजोरम	29,967	29,959	25,323
17	नागालैंड	48,830	48,747	36,235
18	ओडिशा	28,49,889	28,10,942	24,23,791
19	पंजाब	1,03,674	76,688	41,641
20	राजस्थान	24,97,121	24,32,293	17,52,093
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,43,012	6,46,823
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,272	3,71,258
24	उत्तर प्रदेश	36,85,704	36,56,200	36,38,518
25	उत्तराखंड	69,194	68,534	68,218
26	पश्चिम बंगाल*	45,69,423	45,69,032	34,19,526

27	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3,424	2,593	1,302
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11,364	10,935	5,064
29	लक्षद्वीप	45	53	45
30	आंध्र प्रदेश	2,47,114	2,46,930	88,950
31	कर्नाटक	9,44,140	5,17,925	1,58,168
32	तेलंगाना	0	0	0
33	लद्दाख	3,004	3,004	3,004
कुल		**4,12,31,890**	**3,84,75,354**	**2,81,93,704**

नोट: पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना राज्य ने इस योजना की शुरुआत से ही यानी 1.04.2016 से पीएमएवाई-जी को लागू नहीं किया है।

*पश्चिम बंगाल में योजना के क्रियान्वयन में विसंगतियों पर संतोषजनक कृत कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण, मंत्रालय पिछले दो वर्षों से राज्य को लक्ष्य आवंटित नहीं कर सका है।

*****